न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2018 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 01.02.2018

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री किशन पाल सिंह राठौर श्री रणधीर सिंह, जिसका शाखा कार्यालय-प्लॉट नं. 5, सी-5, पहली मंजिल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ में स्थित व कार्यरत है तथा पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरूग्राम, हरियाणा-122002 है

-प्रार्थी

बनाम

1-श्रीमति सोहनी पत्नि श्री शंकरलाल, मु. पारोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2-श्री शंकरलाल पुत्र श्री थाना गुर्जर, मु. पारोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3-श्री शिव लाल पुत्र शंकर लाल, मु. पारोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री सुनील कुमार वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 08.05.2018

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 4,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल वैष्णव ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 व 3 सहऋणी के नोटिस 8-10 महिने से लापता होने की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुए। दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी।

प्रकरण संख्या 20/2018 (रे.वि.)
इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्रीमति सोहनीबाई निवासी पारोली, वगैरा

वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न हैः-

आबादी भूमि पर एक रिहायशी प्लाट, मु. पारोली तह. एवं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) में स्थित जो श्री शंकर लाल पुत्र श्री थाना गुर्जर के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 2679 वर्गफीट है

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 31.07.2017 तक राशि रूपये 4,06,551/-रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके पति व पुत्र के 8-10 महिने से लापता होने से उनके आते ही ऋण राशि जमा करा देने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़